उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-4

संख्या-1/2019/931/12-4-2019-1700/09टी0सी0-5

लखनऊ, दिनांक-12 सितम्बर, 2019

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उक्त विषय पर समस्त विद्यमान नियमावली और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम-3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3(क) एवं (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान स्तम्भ		स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
(क)	नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य किसी पद के सम्बन्ध में परिशिष्ट "क" एवं "ख" में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है।	(क)	नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य नियमावली के परिशिष्ट "क" में उपदर्शित प्राधिकारी से है।
(ख)	आयोग का तात्पर्य उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।	(ख)	आयोग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप- ए हेतु) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-सी हेतु) से है।

नये नियम- 3(कक), 3(ञञ), बढ़ा 3(ञञ) का बढ़ाया जाना

3. उक्त नियमावली में, नियम 3(क), 3(ञ) के समक्ष निम्नलिखित नियम 3(कक), दिया जायेगा, अर्थात् :-

(3कक) "अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(3ञञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम की

अनुसूची(एक) में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम-4 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नियम-4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
सेवा का संवर्ग	(1)	जब तक कि सरकार द्वारा परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या क्रमशः मैदानी और पर्वतीय संवर्गों के लिये उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट ''क'' और ''ख'' में दी गयी है।		(1)	सेवा की और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाये।
				(2)	जब तक उप नियम-1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी नियमावली के परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है।
परन्तु:			परन्तु :		
(एक)		नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।	(एक)		नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; अथवा
(दो)		राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या आस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	(दो)		राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।
(तीन)		सेवा में विभिन्न पदों का विभाजन इस नियमावली के परिशिष्ट ''क'' और ''ख'' में दर्शाये गये अनुभागों के अनुसार होगा।	(तीन)		सेवा में विभिन्न पदों का विभाजन उक्त नियमावली के परिशिष्ट ''क'' में दर्शाये गये खण्डों के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-5 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
भर्ती का स्रोत	(5)	सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती इस नियमावली के परिशिष्ट ''क'' और ''ख'' में उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।	भर्ती का स्रोत	(5)	सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट ''क'' में उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

नियम-6 का संशोधन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
आरक्षण	(6)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	आरक्षण	(6)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उक्त अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनदेशों के अनुसार होगा।

नियम-8 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
शैक्षिक अर्हता	(8)	सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को परिशिष्ट ''क'' और ''ख'' में पदों के सम्मुख दर्शायी गयी शैक्षिक अर्हतायें होनी आवश्यक हैं।	शैक्षिक अर्हता	(8)	सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की, परिशिष्ट ''क'' में पद के सम्मुख दर्शायी गयी शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-10 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
आयु	(10)	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों को जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।	आयु	(10)	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में ऊपरी आयु सीमा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

नियम-15 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15	1- प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में होगा। 2- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो। 3- लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली सीधी	15	1- सेवा में समूह-ग के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी। 2- आयोग, सूची कृषि निदेशक को अग्रसारित करेगा जो नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को नाम भेजेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पश्चात् आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। 4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। उन मामलों में जहां दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्णय सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची कृषि निदेशक को अग्रसारित करेगा जो नियुक्ति आदेश जारी करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारियों को नाम भेजेगा।	भर्ती की प्रक्रिया		

नया नियम-15(क) का बढ़ाया जाना

10. उक्त नियमावली में, नियम-15 के बाद निम्न नियम 15(क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15(क) (एक) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।

(दो) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र न हो।

(तीन) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त किए जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात आयोग, नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप आये हों।

(चार) आयोग, अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(पांच) आयोग, उक्त सूची, कृषि निदेशक को अग्रसारित करेगा जो नियुक्ति आदेश जारी करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारियों को नाम भेजेगा।

टिप्पणीः- प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं नियम वहीं होगें जैसाकि आयोग द्वारा समय-समय पर शासन की सहमति से विहित किया जाये।

नियम-16 का संशोधन

11. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	16	(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देगा।			विलोपित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेगें। (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो। (4) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुच गये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किए गए अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा। (5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति के लिए उचित समझे जायें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में			

http://shasanadesh.up.gov.in

		अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सूची निदेशक को अग्रसारित करेगा जो नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को नाम भेजेगा।			

नियम-17 का संशोधन

12. उक्त नियमावली में, नियम-17 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये उप नियम-1 और 2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जाएंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम		
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	17	(1)- वर्ग-एक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगेः- (क) निदेशक (ख) निदेशक, कृषि सांख्यिकी (ग) अपर कृषि निदेशक (उत्तरांचल) 2-(1) वर्ग-दो के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः- (क) निदेशक (ख) निदेशक, कृषि सांख्यिकी (ग) अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) (घ) अपर कृषि निदेशक (उत्तरांचल) (2) पदोन्नति द्वारा भर्ती उप नियम(1)	आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (जब पदोन्नति के द्वारा भर्ती उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से की जानी हो) विभागीय	17	(1)-पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता/ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी । 2-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। (3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (4) चयन समिति उप नियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (5) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे निदेशक को अग्रसारित करेगी।	चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया।		पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती का मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी। टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जाएगा। (2)नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

					(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम-20 का संशोधन

13. उक्त नियमावली में, नियम-20 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम (1) रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
20	1-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	20	1-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

नियम-23 का संशोधन

14. उक्त नियमावली में, नियम-23 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम		स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम	
23	2- इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट ''क'' और ''ख'' में दिये गये हैं।	23	2- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान, परिशिष्ट ''क'' में दिये गये हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-24 का संशोधन

15. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-24 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम			स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
परिवीक्षा अवधि में वेतन	24	1- फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य या आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। 2-ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा: परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य या आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। 3-ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।	परिवीक्षा अवधि में वेतन	24	1- फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसे प्रथम वेतनवृद्धि की अनुमति तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहां विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है, तो ऐसे विस्तार की गणना, वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे। 2-ऐसे व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, कि परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा, परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है, तो ऐसे विस्तार की गणना, वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे। 3-ऐसे व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					विनियमित किया जायेगा।

नियम-25 का निकाला जाना

16. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-25 को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1)

स्तम्भ-2 परिशिष्ट-क

स्तम्भ-1

एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली1993 के अनुसार वर्ग-1 के पदों की विद्यमान प्रविष्टियां									शासनादेश दिनांक 25-10-2007 द्वारा संबंधित पुनर्गठन के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-ए पद								
समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदो की सं0	वेतनमान रू0 में	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का श्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी	समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदो की सं0	वेतनमान रू0 में	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का श्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-1	1-	विकास	अपर जिला कृषि अधिकारी	34	1400-40-1600-50-द0रो0-60-2600	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग-2 के विकास अनुभाग के सदस्यों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-ए	1	विकास	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (कृषि निवेश / कार्यक्रम	339	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 7 रू0 44900-142400	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत विकास अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी में से जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
			विशेष बीज उत्पादन अधिकारी	48													
			प्रावैधिक सहायक	83													
			सहायक विकास अधिकारी कपास	1													
			वरिष्ठ तिलहन निरीक्षके	5													
			विषय वस्तु विशेषज्ञ (चावल)	3													
			विज्ञापन सहायक	1													
			क्षेत्र निदेशक	1													
			ज्येष्ठ विस्तार सहायक	1													
			वरिष्ठ विस्तार सहायक	4													

			अपर उप मंडलीय कृषि प्रसार अधिकारी	138														
			विषय वस्तु विशेषज्ञ (फसल उत्पादन)	138														
			फार्म अधीक्षक (पटसन फार्म)	1														
			ज्येष्ठ प्रवक्ता (प्रसार)	9														
			अनुदेशक	7														
			ज्येष्ठ निरीक्षक (प्रशिक्षण)	1														
			ज्येष्ठ कृषि निरीक्षण (ऊसर फार्म)	14														
			ज्येष्ठ प्रवक्ता (फलोद्यान)	3			फलोद्यान विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।											
			विषय वस्तु विशेषज्ञ (फलोद्यान)	17			तदैव-											
				509														

										2	विकास	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (कृषि)	75	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 7 (रू0 44900- 142400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत विकास अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप.बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।

										3	विकास	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (भूमि संरक्षण)	101	वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रू0 44900-142400	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती दवाराएपचास प्रतिशत विकास अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप.बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।

										4	विकास	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (प्रक्षेत्र)	10	वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रू0 44900-142400	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत विकास अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप.बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।

										5	विकास	वरिष्ठ प्राविधिक सहायकक ग्रुप-ए, मुख्यालय / प्रशिक्षण संस्थान	36	वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रू0 44900-142400	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत विकास अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।

	2	कृषि रक्षा	ज्येष्ठ प्रवक्ता	3	1400-40-1600-50-द0रो0-60-2600	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञत के साथ एम0एस0सी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी जन्तु विज्ञान।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग-2 के पौध संरक्षण अनुभाग के सदस्यों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।		6-	कृषि रक्षा	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (कृषि)	285	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 7 (रू0 44900-142400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 जन्तु विज्ञान, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत कृषि रक्षा अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
			ज्येष्ठ पौध संरक्षण सहायक	61													
			विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध संरक्षण)	177													
			वरिष्ठ शोध सहायक	18													
				259													

	3-	रसायन विज्ञान	अनुदेशक भूमि	2	1400-40-1600-50-द0रो0-60-2600	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कृषि रसायन, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग- 2 के रसायन अनुभाग के सदस्यों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।		7 क	शोध रसायन विज्ञान	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए	209	वेतन मैट्रिक्स लेवल -7 रू0 44900-142400	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान,मृदा विज्ञान,भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत रसायन अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
			वरिष्ठ सहायक (भूमि)	1														
			वरिष्ठ रसायन सहायक	79														
			प्राविधिक सहायक	4														
			विश्लेषण सहायक	15														
			वरिष्ठ प्राविधिक सहायक	10														
			वरिष्ठ शोध सहायक	11														
			भूमि संरक्षण सहायक	40														
			विषय वस्तु विशेषज्ञ (रसायन)	31														
				193														

	4-	वनस्पति विज्ञान	वन रेजर	1	1400-40-1600-50-द0रो0-60-2600	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से उत्पति विज्ञान के साथ कृषि वनस्पतिकी या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननिकी या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वानिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग- 2 के वनस्पति विज्ञान अनुभाग के सदस्यों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।		7ख	**शोध वनस्पति विज्ञान**	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए	17	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 रू0 44900-142400	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से उत्पति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननिकी या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ,पचास प्रतिशत वनस्पति अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा ।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
			अनुदेशक (वानिकी)	2													
			वरिष्ठ सहायक (घास पास और वानिकी)	1													
			वरिष्ठ शोध सहायक	16													
				20													

	5-	शस्य विज्ञान	ज्येष्ठ प्रवक्ता	6	1400-40-1600-50-द0रो0-60-2600	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वानिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग- 2 के शस्य विज्ञान अनुभाग के सदस्यों जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।		7ग	**शोध शस्य विज्ञान**	वरिष्ट प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए	51	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 7 रू0 44900-142400	किसी मान्ता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि,कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत शस्य विज्ञान अनुभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा ।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
			अनुदेशक (शस्य विज्ञान)	2														
			वरिष्ठ सहायक (शस्य विज्ञान)	1														
			विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान)	29														
			वरिष्ठ शोध सहायक	9														
				47														

	6-	सांख्यिकी	क्षेत्र अनवेशक	7	1600-50- 2300- द0रो0-60- 2660	–	1400-1600 वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग-1 सांख्यिकी अनुभाग के सदस्यों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा	उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0- 13(10)2004/का-1-12 दिनांक 7-12-2012 द्वारा सांख्यिकी सेवा नियमावली-2012 प्रख्यापित की जा चुकी है।

			सांख्यिकी सहायक / सांख्यिकी निरीक्षक/क्षेत्र पर्यवेक्षक	198	1600-50-2300-द0रो0-60-2660	–	मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग-दो के सांख्यिकी स्कंध के क्षेत्र अन्वेषकों संगणक कनिष्ठ सांख्यिकीय निरीक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से विभागीय चयन समित माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा									

	7-	अभियांत्रिकी	फोरमैन	17	1600-50-2300-द0रो0-60-2660		मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग-एक के अभियांत्रिकी अनुभाग के ज्येष्ठ मैकेनिक सहायक फोरमैन ज्येष्ठ ओवरसियर, प्राविधिक सहायक, अनुदेशक (अभियांत्रिकी) ज्येष्ठ प्रवक्ता और वरिष्ठ सहायक (अभियांत्रिकी) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उ0प्र0।	उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0-2/2016/1266/12-4-15-1799(54)/2010 दिनांक 31-12-2015 द्वारा अवर अभियन्ता सेवा नियमावली-2015 प्रख्यापित की जा चुकी है।
			प्राविधिक सहायक	1				

			वरिष्ठ यांत्रिक सहायक	53	1600-50-2300-द0रो0-60-2660	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि।	पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक सहायक, सहायक फोरमैन, चार्जमैन, बिजली मैकेनिक और संयंत्र प्रभारी जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।									
			फोरमैन	12													
			ज्येष्ठ ओवरसियर	11													
			प्राविधिक सहायक	34													
			अनुदेशक (अभियांत्रिकी)	2													
			ज्येष्ठ प्रवक्ता	3													
			वरिष्ठ सहायक (अभियांत्रिकी)	1													
			कुल पद	**1367**								**कुल**	**1123**				

नोट- नवसृजित मण्डल/जनपदों के कार्यालय में शासनादेश सं0-1326/12-1-2008/2219-95 दिनांक 21-5-2008 द्वारा स्वीकृत 02 पद शासनादेश सं0 यू0ओ0-105/12.-10-2542/10 टी0सी0 दिनांक 15-9-2010 द्वारा स्वीकृत 05 पद, शासनादेश सं0-1940/12-1-12-200(52)/2011 टी0सी0 दिनांक 13-9-2012 द्वारा स्वीकृत 12 पद एवं शासनादेश सं0-1947/12-1-12-2545/10 दिनांक 13-9-2012 द्वारा स्वीकृत 04 पद अस्थायी पद के रूप में सरकार द्वारा सृजित कुल 23 पद। इस प्रकार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप.ए में स्वीकृत पद की कुल संख्या- 1123 है।

वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग- 2)

वर्तमान में विद्यमान नियम/ प्रविष्टियां									एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम/प्रविष्टियां								
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी की सूची									उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी की सूची								
समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदो की संख्या	वेतनमान (रूपये में)	शैक्षिक योग्याता	भर्ती का श्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी	समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदो की संख्या	वेतनमान (रूपये में)	शैक्षिक योग्यता	भर्ती का श्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ग- 2	1	विकास	सहायक विकास अधिकारी	860	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग-तीन के विकास अनुभाग के सदस्यों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	सयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार)	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-बी	1	विकास	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कृषि)	869	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 5 (रू0 29200-92300)	—	सौ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विकास अनुभाग के ग्रुप-सी में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के चयन से पदोन्नति द्वारा।	सयुक्त कृषि निदेशक
			पटशन विकास निरीक्षक	9	तदैव	—	तदैव	तदैव							—		
			तिलहन निरीक्षक	19	तदैव	—	तदैव	तदैव							—		
			कपास विकास निरीक्षक	11	तदैव	—	तदैव	तदैव									

			स्नातक सहायक (कपास विकास)	5	तदैव	—	तदैव	तदैव									
			कृषि प्रसार संगठन कर्ता	468	तदैव	—	तदैव	तदैव				वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (मुख्यालय /कृषि विद्यालय /प्रशिक्षण संस्थान)	13	तदैव	—	तदैव	तदैव
						—						वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (प्रशिक्षण एवं समन्वय)	373		—	तदैव	तदैव
			फार्म अधीक्षक	77	तदैव	—	तदैव	तदैव				वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (प्रक्षेत्र)	142		—	तदैव	तदैव

			प्रभारी बफर गोदाम	55	तदैव	—	तदैव	तदैव				वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (आपूर्ति एवं प्रभारी बफर गोदाम)	70	तदैव	—	—	तदैव
			कम्पोस्ट निरीक्षक (अस्थगित)	158	तदैव	—	तदैव	तदैव							—	—	
			कृषि निरीक्षक	48	तदैव	—	तदैव	तदैव							—	—	
			फार्म अधीक्षक (अनुसंधान)	17	तदैव	—	तदैव	तदैव							—	—	
			भूमि संरक्षण निरीक्षक	392	तदैव	—	तदैव	तदैव				वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (भूमि संरक्षण)	344	तदैव		तदैव	तदैव
			कृषि निरीक्षक (अस्थगित)	236	तदैव		तदैव	तदैव									
			सहायक प्रवक्ता	6	तदैव	—	तदैव	तदैव									
			अनुसधान पर्यवेक्षक	1	तदैव	–	तदैव	तदैव									
			कनिष्ठ प्राविधिक सहायक	30	तदैव	–	तदैव	तदैव									
			भूमि संरक्षण निरीक्षक	336	तदैव	—	तदैव	तदैव									

	2	पौध सरक्षण	सहायक विकास अधिकारी (पौध संरक्षण)	566	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	तदैव	तदैव		2	कृषि रक्षा	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कृषि रक्षा)	813	तदैव	—	तदैव	तदैव
	3	रसायन विज्ञान	अनुभागी सहायक	3	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	तदैव	तदैव									
			ऋतु वेद्यशाला सहायक	1	तदैव	—											
			कनिष्ठ शोध सहायक (रसायन विज्ञान)	207	तदैव	—				3	शोध	क - रसायन विज्ञान	316	तदैव	—	तदैव	तदैव
			कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1	तदैव	—									—		
	4	वनस्पति विज्ञान	कनिष्ठ शोध सहायक (वनस्पति शास्त्र)	9	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	तदैव	तदैव		4		ख- वनस्पति विज्ञान	9	तदैव	—	तदैव	तदैव

	5	शस्य विज्ञान	कनिष्ठ सहायक (शस्य विज्ञान)	9	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	तदैव	तदैव		5		ग-शस्य विज्ञान	9	तदैव	—	तदैव	तदैव
	6	सांख्यिकी	संगणक/ कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/ क्षेत्र अन्वेषण	123	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा				उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या-13(10)/2004/का-1-2012 दिनांक 07-12-2012 द्वारा सांख्यिकी सेवा नियमावली 2012 प्रख्यापित की जा चुकी है।					

	7	अभियांत्रिकी	अवर अभियंता/यांत्रिकी सहायक/ सहायक फोरमैन/ चार्जमैन/ बिजली मैकेनिक/ संयंत्र प्रभारी	277	1400-40-1800-द0रो0-50-2300	—	75 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती दवारा 25 प्रतिशत रू0 1200-2040 के वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग 2 के अभियांत्रिकी अनुभाग के सदस्यों में से विभागीय चयन समिति द्वारा जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	सयुक्त कृषि निदेशक प्रसार				उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या-2/2016/1266/12-4-15-1799(54)/2010 दिनांक 31-12-15 द्वारा अवर अभियन्ता सेवा नियमावली 2015 प्रकाशित की जा चुकी है।

			यांत्रिक मिस्त्री / कार्यशाला अनुदेशक/ ट्रैक्टर मैकेनिक प्रभारी मशीन मैन / मैकेनिक निदेशक (औजार)	84	1200-30-1560-द0रो0-40-2040	—	मौलिक रूप से नियुक्त वर्ग तीन के अभियांत्रिकी अनुभाग के सदस्यों में से विभागीय चयन समिति द्वारा जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष के रूप में सेवा पूरी कर ली हो।										
										6	*कम्प्यूटर आपरेटर	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कम्प्यूटर आपरेटर)	205	वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 (रू0 29200-92300)	—	—	—
			योग	4008								कुल	3163				

नोट- 1 * यह पद सेवा नियमावली में सम्मिलित नहीं है।

2 नवसृजित जनपद में कार्यालय हेतु शासनादेश संख्या- यू0ओ0 105/12-1-10-2542/10 टी0सी0 ,दिनांक 15-09-10 द्वारा स्वीकृत 04 पद (शोध 02 एवं भूमि संरक्षण 02 पद) , शासनादेश संख्या - 1942/12-1-12-2545/10 दिनांक 13-09-12 द्वारा 01 पद (शोध 01 पद) एवं शासनादेश संख्या- 1940/12-1-12-200(52)/2011 टी0सी0, दिनांक13-09-12 द्वारा 12 पद (शोध-06 एवं भूमि संरक्षण-06) अस्थायी पद के रूप में सरकार द्वारा सृजित कुल 17 पद । इस प्रकार वर्तमान में ग्रुप सी में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक के कुल अनुभागीय पद 3163 हैं।

प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग- 3)

नियमावली-1993 के द्वितीय संशोधन-2011 के अनुसार विद्यमान प्रविष्टियां									प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के स्थान पर एतदद्वारा प्रतिस्थापित विद्यमान परिशिष्ट								
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के पदों की सूची																	
समूह का नाम	क्रम सं0	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये)	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का श्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी	समूह का नाम	क्रम संख्या	अनुभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपय में)	शैक्षिक अहेता	भर्ती का श्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-सी	1	—	प्राविधिक सहायक समूह-ग (न्याय पंचायत स्तर)	8135	वेतन बैंड- 1 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक कृषि	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-सी	1	—	प्राविधिक सहायक ग्रुप सी (न्याय पंचायत स्तर)	8135	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (25500-81100)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा बी0एस0सी0 (आनर्स) कृषि, बी0एस0सी0 उद्यान, बी0एस0सी0 (आनर्स) उद्यान , बी0एस0सी0 फारेस्ट्री , बी0एस0सी0 (आनर्स) फारेस्ट्री बी0टेक कृषि अभियंत्रण कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय द्वारा प्रदत्त बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) / कम्यूनिटी साइंस में चार वर्षीय उपाधि।	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप निदेशक कृषि

	2		प्राविधिक सहायक समूह-ग (सिंचाई व्यवस्था)	17	वेतन बैंडं 1 5200- 20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उप निदेशक कृषि		2		प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (सिंचाई व्यवस्था)	17	तदैव	तदैव	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	उप निदेशक कृषि
	3		प्राविधिक सहायक समूह-ग (एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन)	17	वेतन बैंडं. 1 , 5200- 20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		3		प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (एकीकृत नाशीजीवप्रबन्धन)	17	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
	4-		प्राविधिक सहायक समूह-ग (कृषि निवेश / पौध रक्षा)	813	वेतन बैंडं. 1 , 5200- 20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		4		प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (कृषि निवेश एवं पौध रक्षा)	813	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	5-		प्रावैधिक सहायक समूह-ग (मृदा परीक्षण)	96	वेतन बैंडं. 1 , 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		5		प्रावैधिक सहायक ग्रुप-सी (मृदा परीक्षण)	104	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
	6		प्रावैधिक सहायक समूह-ग (शोध)	52	वेतन बैंडं. 1 , 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		6		प्रावैधिक सहायक ग्रुप-सी (शोध)	52	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	7		प्रावैधिक सहायक समूह-ग (मृदा सर्वेक्षण)	40	वेतन बैंडं. 1 , 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		7		प्रावैधिक सहायक ग्रुप-सी (मृदा सर्वेक्षण)	40	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
	8		प्रावैधिक सहायक समूह-ग (प्रक्षेत्र)	17	वेतन बैंडं. 1 , 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		8		प्रावैधिक सहायक ग्रुप-सी (कृषि प्रक्षेत्र)	17	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	9		प्राविधिक सहायक समूह-ग (मृदा संरक्षण)	1344	वेतन बैंड. 1 , 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2000 (संशोधित ग्रेड वेतन 2400)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उप निदेशक कृषि		9		प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (मृदा संरक्षण)	1364	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
			कुल पद	**10531**								**कुल पद**	**10559**				

टिप्पणी- शासनादेश संख्या-1940/12-1-12-200(52) / 2011 टी0सी0 , दिनांक 13-09-12 द्वारा 21 पद सृजित किये गये और शासनादेश संख्या-यू0ओ0 105/12-1-10-2542/10 टी0सी0, दिनांक 15-09-10 द्वारा 07 पद सृजित किये गये हैं। इस प्रकार नये जनपदों के लिए सरकार द्वारा 28 अस्थायी पदों का सृजन किया गया। प्राविधिक सहायक ग्रुपसी के कुल 10559 पद सृजित हैं।

आज्ञा से
अमित मोहन प्रसाद

प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification…1/2019/ 931-12-4-19-1700/09/tc05……..….

no-1/2019/ 931-12-4-19-1700/09tc05…date-12/09/2019

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Agriculture Section-4

NOTIFICATION

Miscellaneous

No-1/2019/ 931-12-4-19-1700/09/tc05

Dated, Lucknow .. 12/09/2019

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Agriculture Service Rules, 1993:-

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE AGRICULTURE SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2019.

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Subordinate Agriculture Service (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of

2- In the Uttar Pradesh Subordinate Agriculture Services Rules, 1993,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

rule-3 hereinafter referred to as said rules, in rule-3 for existing rule (a) and (b) set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule		Column-2 Rule as hereby substituted.	
(a)	"Appointing Authority" means the authority indicated in the Appendix "A" and "B", of the rules.	(a)	"Appointing Authority" means the authority indicated in the Appendix "A" of the rules.
(b)	Commission means The Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission.	(b)	Commission means The Uttar Pradesh Public Service Commission (For Subordinate Agriculture Service Group-A) and The Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission (For Subordinate Agriculture Service Group-C).

Insertion of rule-3(aa), 3(j j)

3- In the said rules before rule-3(a), 3(j) the following rule-3(aa), 3(j j) new shall be inserted namely :-

3(aa) "Act" means, THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act 1994"

3(jj) "Other backward classes of citizen" means the backward classes of citizen specified in schedule (I) of the Act, as amended from time to time.

Amendment of rule-4

4. In the said rules, in rule-4 for existing sub rule-1 set out in column-1 below, the sub rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Cadre of Service	(1)	The strength of the service therein shall until orders varying the same are passed for plain and Hill cadre Appendix "A" and "B", of the rules.	Cadre of Service	(1)	The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the government from time to time.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(2)	The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in the Appendix "A", of the rules.
Provided that			Provided that		
(One)	The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or		(I)	The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or	
(Two)	The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.		(II)	The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	
(Three)	The various post in the service shall be divided according to the sections shown in Appendix "A" and "B".		(III)	The various posts in the service shall be divided according to the sections shown in Appendix "A", of the rules.	

Amendment of Rule-5

5. In the said rules for existing rule-6 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Source of recruitment	(5)	Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources specified against them in Appendix "A" and "B"	Source of recruitment	(5)	Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources specified against them in Appendix "A"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Amendment of Rule-6

6. In the said rules for existing rule-6 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Reservation	(6)	Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.	Reservation	(6)	Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the act, and The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Amendment of Rule-8

7. In the said rules for existing rule-8 set out in column-1 below, the rule as as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Academic Qualification	(8)	A candidate for direct recruitment to service must possess the academic qualification shown against the post in Appendix "A" and "B".	Academic Qualification	(8)	A candidate for direct recruitment to service must possess the academic qualification shown against the post in Appendix "A".

Amendment of Rule-10

8. In the said rules for existing rule-10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Age	(10)	A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years, and must have not attained the age of more than 35 years, on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised. Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.	Age	(10)	A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years, and must not have attained the age of more than 40 years, on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised. Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Amendment of Rule-15

9. In the said rules for existing rule-15 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Proced-ure for direct recruit-ment through The Commi-ssion	(15)	1. Applications for being considered for selection shall be called by the commission in the Proforma prescribed in the advertisement issued by the Commission. 2. No candidate shall be allowed to appear in the examination unless he holds admit card issued by the Commission. 3. After the results of	Procedure for direct recruitment to be made through the U.P. Subordinate Service Selection Commission.	(15)	1. Direct recruitment to the post of Group-C in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh direct recruitment to "Group-C" posts (mode and procedure) rules-2015 as amended from time to time. The Commission shall forward the list to the Director of Agriculture who will send the names to the appointing authorities for issuing the appointment orders.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		the written examination have been received and tabulated the Commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule-6, call for interview such number of candidates as on the result of the candidates as on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the commission. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination. 4. The Commission shall prepare a list of candidates by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and interview, If two or more candidates obtained equal marks, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the merit shall be decided on the basis of their general suitability for the			

http://shasanadesh.up.gov.in

		service. The number of names in the list shall be larger (but not larger by twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Director of Agriculture who shall forward the names to the appointing authorities for issuing the appointment orders.			

Insertion of new rule-15(a),

10. In the said rules after rule-15 the following rule 15(a) shall be inserted namely :-

Procedure for direct recruitment is to be made through the U.P. public service commission.

15(a)(I). Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(II). No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(III). After the result of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, prepare a list of candidates who have come up to the standard fixed by the Commission in this respect.

(IV). The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as it consider fit for appointment, If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list.

(V). The Commission shall forward the list to the Director of Agriculture who will send the names to the appointing authorities for issuing the appointment orders.

Note- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission with the concurrence of the Government from time to time.

Amendment

11. In the said rules for existing rule-16 set out in column-1 below, the rule as

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

of Rules-16 set out in column- 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2
Procedure of direct recruitment through The Selection Committee.	(16)	1- The appointing authority shall determine and intimate to The Uttar Pradesh Public Service Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6. 2- Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by The Uttar Pradesh Public Service Commission in the form published in the advertisement issued by them. 3- No Candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by The Uttar Pradesh Public Service Commission. 4- After the results of the written examination have been received and tabulated, The Uttar Pradesh Public Service Commission shall, having regard to the need for securing the representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6 call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by The Uttar Pradesh Public Service Commission in this respect, The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him the written examination. 5- The Uttar Pradesh Public Service Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal	Deleted

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		marks in the aggregate, the name of the candidate obtained higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the list The Uttar Pradesh Public Service Commission shall forward the list to the Director who will send the names to the appointing authorities for issuing appointment order.	

Amendment of Rule-17

12. In the said rules, in rule-17 for existing sub rule-1 and sub rule-2 set out in column-1below the sub rules as set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub rule			Column-2 Sub rules as hereby substituted.		
Procedure of recruitment by promotion-	(17)	(1) For Recruitment through promotion for Group-1 Posts a selection committee shall be formed having following members:- 1. Director of Agriculture 2. Director, Agriculture Statistics, 3. Additional Director Agriculture (Uttaranchal) (2) 1. Recruitment for Group-2 posts through promotion shall be made by the Selection Committee having following member. (a) Director of Agriculture (b) Director, Agriculture Statistics (c) Additional Director (Administrative)	Procedure for recruitment by promotion through the U.P. Public Service Commission. Procedure for recruitment by promotion through the Departmen--tal Selection	(17)	1- Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit/seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time. 2(1)- Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the Service

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(d) Additional Director (Uttaranchal) 2. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through selection committee constituted in accordance with sub- rule-(1). 3. Appointing authority shall prepare the list of candidates (for post out side the purview of the Service Commission) as per rule 1986, and C.R. with related documents will be put up before selection committee. 4. The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may Interview the candidates also. 5. Selection Committee shall prepare a list of promoted candidates and shall forward the same to the Director of	Committee.		Commission Rules, 1992, as amended from time to time. Note-Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act 1994, as amended from time to time. (2) The Appointing Authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility list rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper. (3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may Interview the candidates also.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Agriculture.			(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the Appointing Authority.

Amendment of Rules- 20

13. In the said rules, In rule-20 for existing sub rule-(1) set out in column-1 below, the sub rule-(1) as set out in column- 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Probation period.	20 (1)	A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for period of two year.	Probation period.	20 (1)	A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation rules, 2013, as amended from time to time.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Amendment of Rule-23

14. In the said rules, in rule-23, for existing sub rule(2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule		Column-2 Sub rule as hereby substituted.	
23(2)	The scale of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix- "A" and "B".	23(2)	The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix- "A".

Amendment of Rules-24

15. In the said rules for existing rule-24 set out in column-1 below, the rule as set out in column- 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule			Column-2 Rule as hereby substituted.		
Pay in Probation period.	(24)	(1) Notwithstanding any provision in the fundamental to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.	Pay in Probation period.	(24)	(1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed. Provided that, if the period of probation is extended on

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be governed relevant fundamental rules but if probation is extended due to unsatisfactory work or conduct, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving.			account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules. Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (3) The pay during probation period of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Omission of Rule-25

16. In the said rule, in existing rule-25 shall be Omitted.

By Order,

(Amit Mohan Prasad)

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Senior Technical Assistant Group-A (Subordinate Agriculture Service Group-1) Appendix - A

COLUMN-1									COLUMN-2								
According Subordinate Agriculture Service Rules 1993 of the Group-1 post Existing APPENDIX									**APPENDIX as hereby substituted**								
									U P Subordinate Agriculture Service Group-A posts according to releated Reorganisation By Government order dated 25-10-2007								
Name of Group	Sl. No	Name of Section	Designation	No. of posts	Pay scale (Rs.)	Educational qualification	Source of recruitment	Appointing authority	Name of Group	Sl. No	Name of Section	Designation	No. of posts	Pay scale (Rs.)	Educational qualification	Source of recruitment	Appointing authority
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sub-ordinate agricul-ture service Group-1	1	Develop-ment	Additional District Agriculture Officer	34	1400-40-1600- 50-E.B.-60-2600	Graduate degree in agriculture from any recognized institution of university.	Fifty percent by direct recruitment through the commission. Fifty percent departmental selection committee through promotion from amongst substantively appointed such group-2 of the development section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..	Sub-ordinate agricul-ture service Group-A	1	Develop-ment	Senior Technical Assistant, Group-A (Agriculture investment/ Programme)	339	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900 - 142400)	Postgraduate degree in the field relevant with agriculture from any recognized institution or university must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the development section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..
			Special Seed Production Officer	48													
			Senior Technical Assistant	83													
			Assistant Development Officer (Cotton)	1													
			Senior Oil seed Inspector	5													
			Subject Matter Specialist (Rice)	3													
			Advertisemen t Assistant	1													
			Area Inspector	1													
			Senior Extension Assistant	1	do	do	do	do									

			Senior Extension Assistant	4	do	do	do	do										
			Additional Sub Divisional Agriculture Extension Officer	138	do	do	do	do										
			Subject Matter Specialist (Crop Production)	138	do	do	do	do										
			Farm Suprintendent (Patsan Farm)	1	do	do	do	do										
			Senior Lecturer (Extension)	9	do	do	do	do										
			Instructor	7	do	do	do	do										
			Senior Inspector (Training)	1	do	do	do	do										
			Senior Agriculture Inspector (Usar Farm)	14	do	do	do	do										
			Senior Lecturer (Horticulture)	3	do	Deputation from Horticulture	do	do										
			Subject Matter Specialist (Horticulture)	17	do	do	do	do										

										2	Develop-ment	Senior Technical Assistant Group-A (Agriculture)	75	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in the field relevant with agriculture from any recognized institution or university must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the development section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..

										3	Develop-ment	Senior Technical Assistant Group-A (Soil Conser-vation)	101	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900 - 142400)	Postgraduate degree in the field relevant with agriculture from any recognized institution or university must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the development section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administrati on) U.P..

										4	Develop-ment	Senior Technical Assistant Group-A (Farms)	10	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in the field relevant with agriculture from any recognized institution or university must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the development section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..

										5	Develop-ment	Senior Technical Assistant Group-A (Head Quarter/ Training Institute)	36	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in the field relevant with agriculture from any recognized institution or university must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the development section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..

	2	Plant Protection	Senior Lecturer	3	1400-40-1600- 50-E.B.-60-2600	Postgraduate degree in Entomology of plant pathology from a recognized university or institution or MSc. (Plant Science) with specializatio n in Entonology or plant pathology.	Fifty percent by direct recruitment through the commission. fifty percent by departmental selection committee through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the Plant Protection section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administrat ion) U.P..		6	Plant Protection	Senior Technical Assistant Group-A (Agriculture Plant Protection)	285	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in Entomology or Plant pathology from a recognized university or institution or M.Sc. (Plant Science) with specialization in Entomology or Plant Pathology must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the Plant Protection section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administrati on) U.P..
			Senior Plant Protection Assistant	61													
			Subject Matter Specialist (Plant Protection)	177													
			Senior Research Assistant	18													

	3	Chemistry	Instructor (Soil)	2	1400-40-1600- 50-E.B.-60-2600	Postgraduate degree in agriculture Chemistry, soil science, soil conservation from recognized university or Institution.	Fifty percent by direct recruitment through the commission. Fifty percent by departmental selection committee through promotion from amongst substantively appointed such group-2 of the chemistry section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..		7A	Research (Chemistry)	Senior Technical Assistant Group- A	209	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in Agriculture Chemistry, Soil Science, Soil Conservation from a recognized university or institution must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the Chemistry section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..
			Senior Assistant (Soil)	1													
			Senior Chemistry Assistant	79													
			Technical Assistant	4													
			Analysis Assistant	15													
			Senior Technical Assistant	10													
			Senior Research Assistant	11													
			Soil Survey Assistant	40													
			Subject Matter Specialist (Chemistry)	31													

	4	Botany	Forest Ranger	1	1400-40-1600- 50-E.B.-60-2600	Postgraduate degree in Agro Botany or Plant reproduction with Science of origin or post graduate degree in Botany with speciality in genetics or Plant reproduction	Fifty percent by direct recruitment through the commission. Fifty percent by departmental selection committee through promotion from amongst substantively appointed such group-2 of the Botany section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..		7B	Research (Botany)	Senior Technical Assistant Group- A	17	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in Agro Botany or Plant reproduction with Science of origin or post graduate degree in Botany with speciality in genetics or Plant reproduction must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the Botany section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..
			Instructor (Forestry)	2													
			Senior Assistant (Gross and Forestry)	1													
			Senior Research Assistant	16													

	5	Agronomy	Senior Lecturer	6	1400-40-1600- 50-E.B.-60-2600	Postgraduate degree in Agronomy from recognized university or Institution	Fifty percent by direct recruitment through the commission. Fifty percent by departmental selection committee through promotion from amongst substantively appointed such group-2 of the Agronomy section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..		7C	Research (Agronomy)	Senior Technical Assistant Group- A	51	Pay Matrix Level-7 (Rs.-44900-142400)	Postgraduate degree in Agronomy from recognized university or Institution must be a graduate in Agriculture.	Fifty percent by direct recruitment through the commission, fifty percent in consultation with U.P. Public Service Commission through promotion from amongst substantively appointed such senior technical assistants group-B of the Agronomy section who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..
			Instructor (Agronomy)	2													
			Senior Assistant (Agronomy)	1													
			Subject Matter Specialist (Agronomy)	29													
			Senior Research Assistant	9													

	6	Statistics	Farm Inventioner	7	1600-50-2300-E.B.-60-2660	-	By departmental selection committee through promotion substantively appointed in pay scale 1400-1600, In statics section of group-1 who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Director Agriculture Statics and Crop Insurance		6	Statistics	By the U.P. Govt. notification No. 13(10)2004/ka-1-2012 Dated 07-12-2012 Statical Service Rule-2012 has been published.
			Statics Assistant/ Statics Inspector/ Farm supervisor	198	do	do	By departmental selection committee through promotion substantively appointed in pay scale 1400-1600, In area of statics wings, computer, Junior Statics Inspector of group-2, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	do				do

	7	Engineer-ing	Fore Man	17	1600-50-2300-E.B.-60-2660	-	By departmental selection committee through promotion substantively appointed such group-1 engineering section Senior Mechanic, Assistant Foreman, Senior Overseer, Technical Assistant, Assistant Instructor (Engineering), Senior Lecturer and Senior Assistant(Engineering) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Additional Director Agriculture (Administration) U.P..				By the U.P. Govt. notification No. 2/2016/1266/12-4-15-1799(54)/2010 Dated 31-12-2015 Junior Engineer Service Rule-2015 has been published.					
			Technical Assistant	1													
			Senior Mechanical Assistant	53	1600-50-2300-E.B.-60-2660	Graduate degree in Agriculture Engineering from any recognised Institution or University	50% through direct recruitment by commission 50% through promotion by departmental selection committee amongst through promotion substantively appointed such Junior engineer, Mechanical Assistant, Assistant	do									

			Foreman	12			Foreman, Chargeman, Electric Mechanic and Machinery Incharge who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.											
			Senior Overseer	11														
			Technical Assistant	34														
			Instructor (Engineering)	2														
			Senior Lecturer	3														
			Senior Assistant (Engineering)	1														
				1367									Total	1123				

Note- In new created Divisions/Districts 02 posts sanctioned by the G.O. No.1326/12-1-2008-2219/95 Dated 21-5-2008, 05 posts sanctioned by the G.O. No.-U.O.-105/12-1-10-2542/10 T.C. Dated 15.09.2010, 12 posts sanctioned by the G.O. No.-1940/12-1-12-200(52)/2011 T.C. dated 13-09-2012 and 04 posts sanctioned by the G.O. No.-1947/12-1-12-2545/10 dated 13.09.2012 for the offices. Total-23 posts created by Government as tempary post. Thus the total no of sanctioned post in Senior Technical Assistant Group-A (Subordinate Agriculture Service Group-1) is 1123.

Senior Technical Assistant Group-B (Subordinate Agriculture Services Group-2)

Present Rule/Apendix									Rule/Apendix hereby substituted								
Name of Group	**Sl. no.**	**Name of Section**	**Designation**	**No. of posts**	**Pay scale (Rs.)**	**Educational Qualification**	**Source of recruitment**	**Appointing authority**	**Name of Group**	**Sl. no.**	**Name of Section**	**Designation**	**No. of posts**	**Pay scale (Rs.)**	**Educational Qualification**	**Source of recruitment**	**Appointing authority**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Group-B	1	Development	Assitant Development Officer (Agriculture)	860	1200-30-1560-EB-40-2040	-	Hundred percent promotion through departmental selection committee from amongst substantively appointed Group-three of the development section, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Joint Director of Agriculture (extention)	Subordinate Agriculture Service Group-B	1	Development	Senior Technical Assistant. Group-B(agriculture)	869	Pay Matrix Level-5(Rs 29200-92300)	-	Hundred percent promotion through departmental selection committee from amongst substantively appointed Group-C of the development section, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Joint Director of Agriculture
			Jute Development Inspector	9	Do	-	Do	Do						—			
			Oil Seed Inspector	19	Do	-	Do	Do									
			Cotton Development Inspector	11	Do	-	Do	Do									
			Graduation Assistant (Cotton Development)	5	Do	-	Do	Do						—			

			Agriculture Extention Sanghtak	468	Do	-	Do	Do				Senior Technical Assistant. Group-B (Head Quarter/agriculture school/Trainning Institute)	13	-do-	-	-do-	-do-
—												Senior Technical Assistant. Group-B (Training and co-ordination)	373	-do-	-	-do-	-do-
			Farm Superitendent	77	-do-	-	-do-	-do-				Senior Technical Assistant. Group-B (Farm)	142	-do-	-	-do-	-do-
			Buffer Godown Incharge	55	-do-	-	do	-do-				Senior Technical Assistant. Group-B (Supply and Incharge Buffer Godown)	70	-do-	-	-do-	-do-
			Compost Inspector (Deferred)	158	do	-	do	do	—									
			Agriculture Inspector	48	do	-	do	do										
			Farm Superitendent (Research)	17	do	-	do	do										
			Soil Conservation Inspector	392	-do-	-	-do-	-do-				Senior Technical Assistant. Group-B (soil conservation)	344	-do-	-	-do-	-do-
			Agriculture Inspector (Deferred)	236	-do-	-	-do-	-do-	—									
			Assistant Lecturer	6	-do-	-	-do-	-do-										
			Research Supervisor	1	do	-	do	do	—									

			Junior Technical Assistant	30	do	-	do	do								
			soil Conservation Inspector (Command)	336	do	-	do	do								
	2	Plant Protection	Technical Assistant. Group-B(Plant Protection)	566	do	-	do	do		2	Plant Protection	Senior Technical Assistant. Group-B(Plant Protection)	813	-do-	-	-do-	-do-
	3	Chemistry Science	Assistant Follower	3	do	-	do	do	—							
			Metrological Assistant	1												
			Junior Research Assistant (Chemistry)	207	do	-	do	do		3	Reserch	A-Chemistry Science	316	do	-	do	do
			Junior Scientist	1												
	4	Botany Science	Junior Research Assistant (Botany)	9	do	-	do	do		4		B-Botany Science	9	do	-	do	do
	5	Agronomy	Junior Assistant (Agronomy)	9	do	-	do	do		5		C-Agronomy Science	9	do	-	do	do
	6	Statics	Computer/Jr.Statics inspector/ Field Investigator	123	do		Direct recruitment by commission	Director, Statistics and Crop insurance				By the U.P. Govt. notification.No. 13(10)2004/ka-1-2012 dt. 07.12.2012 Statical Service Rule-2012 has been published.					

	7	Engineering	junior engineer/ machanical assistant/ assistant formen/ charge men/ elictric machanic/ plant encharge	277	1400-40-1800-EB-50 -2300	-	75% direct recruitment by commission and 25% by promotion of member engineering section group-2 who has completed of five years of service by selection committee pay scale 1200-2040	Joint Director of Agriculture (extention)				By the U.P. Govt. notification.No. 2/2016/1266/12-4-15-1799(54)/2010 dt. 31.12.15 junior Engineer Service Rule-2015 has been published.							
			Mechanical fitter/workshop instructor/ Tractor mechanic/ Incharge machine men /mechanical instructor (Equipment)	84	1200-30-1560-EB-40 -2040	-	By promotion from substantively appointed members of engineer section group-3rd who have completed five year service of selection by department promotion committee											
—										6	*Computer operator	Senior Technical Assistant Group-B (Computer Operator)	205	Pay Matrix Level-5(Rs 29200-92300)	-	-	-		
			Total	**4008**								**Total**	**3163**						

Note-1 * These posts are not included in service Rules.

In new created Districts 04 Posts (Research-02 & Soil-02) senction by the Government order number-u.o. 105/12-1-10-2542/10 T.C. Dated 15.09.2010 , 01 Post (Research-01) by the Government order number-1947/12-1-12-2545/10 dated 13.09.2012 and 12 (Research-06 &Soil-06) Posts by the Government order number-1940/12-1-12-200(52)/2011 T.C. dated 13-09-2012 for the offices. Total-17 posts created by Government as tempary post. Thus the total senction posts of senior technical Assistant in Group-B are 3163 in present.

Technical Assistant Group-C (Subordinate Agriculture Service Group-3)

Existing Rules Uttar Pradesh Subordinate Agriculture Service Technical Assistant Group-C									Existing Appendix as hereby substituted for Technical Assistant Group-C post								
Name of Group	Sl. No.	Name of Section	Name of post	No. of Post	Scale of pay (Rs.)	Educational Qualification	Source of Recruit-ment	Appointing Authority	Name of Group	Sl. No.	Name of Section	Name of post	No. of Post	Scale of pay (Rs.)	Educational Qualification	Source of Recruitment	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subordinate agricul-ture service Group-C	1	-	Technical Assistant Group "C" (Nyaya Panchayat Level)	8135	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade pay Rs. 2000 (Revised Grade pay Rs. 2400)	Bachelor's Degree in Agriculture from a recognised Institution or from a University established by law in India.	By direct recruit-ment through the Uttar Pradesh Public Service Commi- ssion.	Deputy Director (Agriculture)	Subordinate agriculture service Group-C	1	-	Technical Assistant Group "C" (Nyaya Panchayat Level)	8135	Pay Mattrics level-4 (25500-81100)	Bachelor's Degree in Agriculture from a recognised Institution or from a University established by law in India. Bachelor's degree in Agriculture or equivalent to Bachelor's Degree in Agriculture as-B.Sc. (Hon's) Ag., B.Sc. Horticulture/B.Sc. (Hon's) Horticulture, B.Sc. Forestry/ B.Sc. (Hon's) Forestry, B.Tec. (Agriculture Engineering), University of Agriculture and Techonology awarded four years degree in B.Sc. (Home Science)/Community Science.	By direct recruitment through the Uttar Pradesh Subordina- te Services Selection Commiss-ion.	Deputy Director (Agriculture)
	2		Technical Assistant Group "C" (Irigation Organiza tion)	17	do	do	do	do		2		Technical Assistant Group "C" (Irigation Organiza tion)	17	do	do	By direct recruitment through the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission.	Deputy Director (Agriculture)

	3		Technical Assistant Group "C" (Integrated Insect/pest seed management)	17	do	do	do	do		3		Technical Assistant Group "C" (Integrated Insect/ pest seed management)	17	do	do	do	do
	4		Technical Assistant Group "C" (Agriculture Investment/plant protection)	813	do	do	do	do		4		Technical Assistant Group "C" (Agriculture Investment/plant protection)	813	do	do	do	do
	5		Technical Assistant Group "C" (Soil Testing)	96	do	do	do	do		5		Technical Assistant Group "C" (Soil Testing)	104	do	do	do	do
	6		Technical Assistant Group "C" (Research)	52	do	do	do	do		6		Technical Assistant Group "C" (Research)	52	do	do	do	do
	7		Technical Assistant Group "C" (Soil Survey)	40	do	do	do	do		7		Technical Assistant Group "C" (Soil Survey)	40	do	do	do	do
	8		Technical Assistant Group "C" (Agriculture Farm)	17	do	do	do	do		8		Technical Assistant Group "C" (Agricul-ture Farm)	17	do	do	do	do
	9		Technical Assistant Group "C" (Soil Conserva tion)	1344	do	do	do	do		9		Technical Assistant Group "C" (Soil Conserva-tion)	1364	do	do	do	do
			Total	10531								Total	10559				

Note:- The number of posts mentioned in Column 5 and the scale of pay mentioned in Column 6 are respectively the number of posts and the scale of pay existing at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Subordinate Agriculture Service (Second Amendment) Rule, 2011.

Note:-By Government order no. 1940/12-1-12-200(52)/2011 T.C. Dated 13-09-12, 21 post were created and by Government order no.-U.O. 105/12-1-10-2542/10 T.C. Dated 15-09-2010, 7 post were created thus 28 Temporary posts are created by Government for the new districts. A total of 10559 posts of technical Assistant group-c are sanctioned.

By order

AMIT MOHAN PRSHAD

Principal Secretary